
S.R. 242(2)(i) Loop line clearance Board with legend "**T/Loop**" to be provided at stations at a distance of 750 meters for standard length train and at 1500 meters for long haul train after the Loop Line crossover point.

LOOP LINE CLEARANCE BOARD




Termination Indicator for Loop Lines

(All dimensions are in Millimetre)

सःनिः 242(2) (i) स्टेशन पर लूप लाइन क्रास ओव्हर पॉइंट के बाद लूप लाइन क्लियरेंस बोर्ड T/LOOP लिजेंड के साथ स्टैंडर्ड लंबाई के गाड़ी के लिये 750 मीटर पर और लॉन्ग हाल गाड़ी के लिये 1500 मीटर पर लगाई जाये।

लूप लाइन क्लियरेंस बोर्ड



Termination Indicator for Loop Lines

(All dimensions are in Millimetre)

FIG-6



डेडीकटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

HQ/OP&SAFETY/AMENDMENT IN DFCR-GR/2018

Dated: 03.06.2019

Chief General Managers, DFCCIL GGMs, GMs Corporate Office, DFCCIL

Sub: Correction Slip No. 2 to DFCR-GR-2018.

A correction slip is being issued with the approval of *authorised officer*, Director (Operations and Business Development), Dedicated Freight Corridor Railway for incorporation in DFCR-GR-2018 as Subsidiary rule with immediate effect (copy attached). The subsidiary rule shall be added under DFCR-GR Rule No. 124 (4) as SR. 124(4)-1.

All concerned will correct G&SR of Dedicated Freight Corridor Railway – General Rule-2018 accordingly and the same to be brought to the notice of all the officials concerned.

(Sudhir Chandra Kumar) General Manager/TS

Copy: -

- ED/EDFC & ED/WDFC
- Director (OP&BD) for kind information please.
- 3. Director (Infra.) for kind information please.
- 4. Director (PP) for kind information please.
- 5. PS to MD for kind information of MD.

DFCR CORRECTION SLIP No. 2 to DFCR-GR-2018 with 01 item on 03.06.2019.

ITEM NO. 01

Add the following as S.R. 124(4)-1 below the DFCR-GR Rule 124(4):

S.R. 124(4)-1

"When both 'A' and 'AG' markers lights are extinguished, the loco pilot shall comply with provisions of Rule 211 or Rule 212 as the case may be".

Sd/

(Vivek Srivastava) Director (OP&BD)



डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

HQ/OP&SAFETY/AMENDMENT IN DFCR-GR/2018

Dated: 03.06.2019

मुख्य महाप्रबंधक, डीएफसीसीआईएल समूह महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक कॉर्पोरेट ऑफिस, डीएफ़सीसीआईएल

विषय: शुद्धि पत्र संख्या 2 से डीएफ़सीआर-जीआर-2018

डीएफआरसीआर-जीआर -2018 में शामिल करने के लिए अधिकृत अधिकारी, निदेशक (संचालन और व्यवसाय विकास), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की स्वीकृति से शुद्धि पत्र जारी किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से सहायक नियम के रूप में (कॉपी संलग्न) शामिल करें। सहायक नियम को नियम संख्या 124 (4) के नीचे एसआर 124 (4) -1 के रूप में जोड़े।

सभी संबंधित डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर रेलवे- जीआर एंड एसआर - जीआर -2018 को सही करें तथा संबंधित सभी अधिकारियों को सूचित करें।

(सुधीर चंद्र कुमार)

प्रति,

- 1. कार्यकारी निदेशक / ईडीएफसी और कार्यकारी निदेशक/ डब्ल्यूडीएफसी
- 2. निदेशक (परि.एवं व्य. विका.) के सूचनार्थ
- 3. निदेशक (इंफ्रा।) के सूचनार्थ
- 4. निदेशक (पीपी) के सूचनार्थ
- 5. प्रबंध-निदेशक के निजी सचिव को प्रबंध-निदेशक कृपया के सूचनार्थ

डीएफ़सीआर जीआर - 2018, शुद्धि पत्र संख्या - 2 , मद -01 , 03.06.2019 को जारी

मद संख्या। 01

निम्नलिखित को स.नि. के रूप में 124 (4) -1 डीएफ़सीआर जीआर नियम 124 (4) के नीचे जोड़ें :

स.नि. 124 (4) -1

"जब 'ए' और 'एजी' दोनों मार्करों की बतियाँ बुझ जाती हैं, तो लोको पायलट नियम 211 अथवा नियम 212 के प्रावधानों का पालन करेगा, जैसी भी स्थिति हो "।

> हस्ता / (विवेक श्रीवास्तव) निदेशक (ओपी और बीडी)

डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

Date: 20.11.2019

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

HQ/OP&SAFETY/AMENDMENT IN DFCR-GR/2018

Correction Slip No.-3

Sub: Amendment in DFCR-GR, Rule-273(3) - Regarding.

Gazette Notification No. 645 for amendment in DFCR-GR Rule 273(3) of DFCR-GR -2018 is issued on 06.11.2019. Hence, the existing DFCR-GR-273(3) is deleted and substituted as under:

Item-1

"(3) Each level crossing gate shall be provided with approach warning and approach track locking systems. As soon as the train reaches a pre-determined point on any of the lines an alarm in accordance with special instructions will sound in order to assist Gateman regulate road traffic and observe passing train. Further, as soon as the train reaches a predetermined point, if the boom is already closed, track locking of boom shall prevent opening of the gate until whole of the train has passed beyond the level crossing gate and subsequently, the gate signal shall assume 'OFF' aspect."

All concerned to please correct the DFCR-GR-2018 as above and the same may be brought to the notice of all the officials concerned.

Sudhir Chandra Kumar General Manager/TS

Copy: - ED/EDFC & ED/WDFC,

Director/OP&BD, Director/PP, Director/Infra for information please. Secretary to MD for information to MD,

All CGMs/DFCCIL for information and necessary action please. GGM/GM Corporate Office for information and necessary action please.



डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

एचक्यू/ओपी&सेफटि/अमेंडमेंट इन डीएफ़सीआर-जीआर/2018

दिनांक: 20.11.2019

शुद्धि पत्र संख्या - 3

विषय: डीएफ़सीआर जीआर - 2018 नियम 273(3) -के संबंध में।

दिनांक 06.11.2019 को भारत के राजपत्र संख्या -645, के अनुसार डीएफ़सीआर-जीआर -2018 के साधारण नियम 273(3) में संशोधन किया गया है, अतः वर्तमान नियम 273(3) को हटाकर निम्नलिखित नियम 273(3) के रूप में प्रस्थापित करें :

मद संख्या। 01

"(3) प्रत्येक समपार फाटक पर आगमन चेतावनी और आगमन ट्रैक लॉकिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। जैसे ही गाड़ी किसी भी एक लाइन पर पूर्व-निर्धारित स्थल पर पहुंचती है, तो विशेष अनुदेशों के अनुसार गेटमैन की सहायता के लिए एक अलार्म बजेगा जिससे वह सड़क यातायात को विनियमित कर सके और गुजरती गाड़ी को देख सके। इसके अतिरिक्त, जैसे ही गाड़ी पूर्व-निर्धारित स्थल पर पहुंचती है, यदि बूम पहले से ही बंद है तब बूम की ट्रैक लॉकिंग समपार फाटक को खुलने से रोकेगा जब तक गाड़ी समपार फाटक को पार नहीं करती और तत्पश्चात फाटक सिगनल 'ऑफ' स्थित में आ जाएगा।"

सभी संबंधित डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर रेलवे- जीआर एंड एसआर -2018 को उपरोक्तानुसार सही करें तथा संबंधित सभी अधिकारियों को सूचित करें।

(सुधीर चंद्र कुँमार)

महाप्रबंधक / टीएस

प्रति,

- 1. कार्यकारी निदेशक / ईडीएफसी और कार्यकारी निदेशक/ डब्ल्यूडीएफसी
- 2. निदेशक (परि.एवं व्य. विका.) के सूचनार्थ
- 3. निदेशक (इंफ्रा।) के सूचनार्थ
- 4. निदेशक (पीपी) के सूचनार्थ
- 5. प्रबंध-निदेशक के निजी सचिव को प्रबंध-निदेशक के सूचनार्थ कृपया,
- 6. सभी मुख्य महाप्रबंधक, डीएफ़सीसीआईएल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 7. सभी समूह महाप्रबंधक / महाप्रबंधक को सूचनार्थ

Chief General Managers, DFCCIL GGMs, GMs Corporate Office, DFCCIL All Concerned Officials, DFCCIL

Sub: Correction Slip No. 4 to DFCR-G&SR-2018.

A correction slip is being issued with the approval of 'Authorised Officer', Director (Operations and Business Development), Dedicated Freight Corridor Railway for incorporation the Subsidiary Rule with immediate effect in DFCR-G&SR-2018 (Hindi and English copy attached). This subsidiary rule shall be added under General Rule No. 13(3) as SR. 13(3)/1.

All concerned will correct Dedicated Freight Corridor Railway – G&SR-2018 accordingly and the same to be brought to the notice of all the officials concerned.

(Sudhir Chandra Kumar)
General Manager/Traffic&Safety

Dated: 09.07.2020

Copy: -

- 1. ED/EDFC & ED/WDFC
- 2. Director (OP&BD) for kind information please.
- 3. Director (Infra.) for kind information please.
- 4. Director (PP) for kind information please.
- 5. PS to MD for kind information of MD.

CORRECTION SLIP No. 4 to DFCR-G&SR-2018 with 01 item on 08.07.2020.

ITEM NO. 01

Add the following as S.R. 13(3)/1 below the DFCR-GR Rule 13(3):

S.R.13 (3)/1 Precautions to be taken for working of Double Stack Container trains on DFC during strong wind/ abnormal wind conditions: -

- i. Anemometer is to be provided at all stations and other vulnerable locations at a height of 10 meters from ground level to measure velocity of wind.
- ii. The speed restriction for double stack container trains on DFC during abnormal wind will be
 - a. When containers are empty, and wind speed increases more than 50 kmph measured at 10 mtr height from ground level, train to be moved at a speed of 30 kmph and stabled at nearest possible Station/Yard.
 - b. When Containers are loaded, and wind speed increases more than 80 kmph measured at 10 mtr height from ground level, the train speed to be reduced to 40 kmph. Train to be stabled at nearest Station/Yard if wind speed increases more than 100 kmph.
 - c. In case, it is not known to SM/Loco Pilot/OCC whether containers loaded on wagons are loaded or empty, he shall treat the containers as empty and act accordingly as per [(ii) a)] above.
- iii. When velocity of wind increases as indicated in [(ii) a) & b)] above, measured by Anemometer, an alarm signal/ buzzer will sound in SM office and on acknowledgement of this alarm/buzzer, SM on duty will act as under
 - a. He will immediately inform to OCC and SM of adjacent stations about abnormal wind conditions.
 - b. He will take action as indicated in [(ii) a) b) & c)] above.
 - c. The Station Master shall not start or allow the movement of Double stack container trains, through his station and also not grant Line Clear to any Double stack container trains waiting at the adjacent Station for his station, keeping in view the provisions given in [(ii) a),b) & c)] above.
- iv. Normal working will be resumed for running of Double stack container trains when speed of wind abates below danger level in consultation with OCC and the Station Master at the adjacent stations.

Sd/

(NANDURI SRINIVAS) Director (OP&BD) डीएफ़सीआर- जी&एसआर - 2018, शुद्धि पत्र संख्या - 4 , मद -01 , 09.07.2020 को जारी मद संख्या- 01

निम्नलिखित को स.नि. के रूप में 13(3(1) डीएफ़सीआर-जी &एस आर नियम 13(3) के नीचे जोड़ें :

स.नि. 13.3/1 तेज हवा / असामान्य हवा की स्थिति के दौरान डीएफसी पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के संचालन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: -

- हवा की गति को मापने के लिए जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर सभी स्टेशनों और
 अन्य खतरनाक स्थानों पर एनीमोमीटर लगाया जाएगा ।
- डीएफसी पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए असामान्य हवा/तूफान के दौरान संचालन हेतु निम्नलिखित गति प्रतिबंध लाग् होगा-
 - क. जब कंटेनर खाली हो, और हवा की गित जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर 50 किमी प्रति घंटे से अधिक बढ़ जाती है, तो ट्रेन को 30 किमी प्रति घंटे की गित से परिचालित करते हुये निकटतम संभव स्टेशन / यार्ड में स्टेबल किया जा सकता है।
 - ख. जब कंटेनर लोडेड हो, और हवा की गित जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर 80 किमी प्रित घंटे से अधिक हो जाती है, तो ट्रेन की गित को 40 किमी प्रित घंटे तक कम की जाए। यदि हवा की गित 100 किमी प्रित घंटे से अधिक बढ़ जाती है, तो ट्रेन को निकटतम स्टेशन / यार्ड में स्टेबल किया जाए।
 - ग. यदि , स्टे. मा./ओसीसी (कंट्रोल)/ लोको पायलट को पता नहीं हो कि वैगनों पर लादे गए कंटेनर लोडेड हैं या खाली हैं,तो वह कंटेनरों को खाली मानते हुये तदनुसार [(ii) क.]] के अनुसार कार्य करेंगे।
- iii. जब एनीमोमीटर में हवा की गित उपरोक्त [(ii) क. और ख.)] के अनुसार बढ़ जाती है, तो स्टे. मा। कार्यालय में एक अलार्म / बजर बजेगा और इस अलार्म / बजर के सुनने पर , ऑन इयूटी स्टे. मा. निम्नलिखित कार्य करेगा -
 - क. वह तुरंत ओसीसी(कंट्रोल) और दोनों तरफ के स्टेशनों के स्टे.मा. को असामान्य हवा की स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
 - ख. वह ऊपर दिए गए [(ii) क. और ख.] के अनुसार कार्रवाई करेगा।
 - ग. स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को थ्रु जाने की अनुमित नहीं देगा , साथ ही में दिए गए उपरोक्त प्रावधानों [ii क. ,ख और ग.] को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेशन के लिए साथ दोनों स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही किसी भी डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियों को लाइन क्लीयर नहीं देगा।
- iv. जब हवा की गति खतरे के स्तर से नीचे हो जाती है, तो ओसीसी और निकटवर्ती स्टेशनों के स्टेशन मास्टर से परामर्श करके डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए सामान्य संचालन फिर से शुरू करेगा।

हस्ता / (नन्दूरी श्रीनिवास) निटेशक (भोपी भौज कीटी)



डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया वि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Lt A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

HQ/OP&SAFETY/AMENDMENT IN DFCR-GR/2018 Dated: 17.07.2020

Chief General Managers, DFCCIL GGMs, GMs Corporate Office, DFCCIL All concerned Officials of DFCCIL

Sub: Correction Slip No. 5 to DFCR-GR-2018.

A correction slip is being issued with the approval of 'Authorised Officer', Director (Operations and Business Development), Dedicated Freight Corridor Railway for incorporation in DFCR-GR-2018 as Subsidiary rule with immediate effect (copy attached). The subsidiary rule shall be added under Rule No. 93(1) as SR. 93(1)/1

All concerned will correct G&SR of Dedicated Freight Corridor Railway (2018) accordingly and the same to be brought to the notice of all the officials concerned.

(Sudhir Chandra Kumar) General Manager/TS

Copy: -

- 1. ED/EDFC & ED/WDFC
- 2. Director (OP&BD) for kind information please.
- 3. Director (Infra.) for kind information please.
- 4. Director (PP) for kind information please.
- 5. PS to MD for kind information of MD.

CORRECTION SLIP No. 5 to DFCR-G&SR-2018 with 01 item on 17.07.2020.

ITEM NO. 01

Add the following as S.R. 93(1)/1 below the DFCR-GR Rule 93(1):

S.R. 93 (1)/1 Issue of certificate of competency: -

- a. The Principal of DFCCIL Training Institute and Principal Zonal Railway Training Institute/ Divisional Training Institute (Till the commissioning of DFCCIL Training Institute) is authorised to examine and to issue certificate of competency for a maximum period of three years to operating staff of DFCCIL involved in train operation.
- b. However, in exceptional circumstances, the staff who becomes due for refresher course and could not be booked for training institutes, the competency certificate issued by the Principal of Training Institute may be extended locally for a period of maximum one year by adopting following procedure: -
- i. SMs/ASMs (E0-E3 Level operating staff) The staff due for competency will be jointly examined by sectional Traffic Inspector and sectional Supervisor of S&T. If his knowledge is found satisfactory then they will endorse their remark on the existing competency certificate and will recommend to JGM/DGM (Safety) for extension. JGM/DGM (Safety) will countersign on the endorsed competency certificate by mentioning the period of extension (not more than one year)
- ii. MTS working in train operation- The staff due for competency will be examined by Sectional Traffic Inspector. If his knowledge is found satisfactory then TI will endorse his remark on the existing competency certificate and will recommend to Manager/Dy.PM/Area Officer for extension. Manager/Dy.PM/Area Officer will countersign on the endorsed competency certificate by mentioning extension period (should not more than one year).
- iii. Without a valid competency certificate, no operating staff should be allowed for train operational duty.

Sd/

(NANDURI SRINIVAS) Director (OP&BD)

स.नि. 93 (1) / 1- सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना: -

- क. डीएफ़सीसीआईएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट/डिवीजनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (डीएफ़सीसीआईएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कमीशन होने तक), गाड़ी परिचालन में शामिल डीएफ़सीसीआईएल के परिचालन स्टाफ की परीक्षा लेकर अधिकतम तीन साल के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
- ख. हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, जो कर्मचारी रिफ्रेशर कोर्स के लिए अति देय (ओवर ड्यू) हो जाते हैं और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बुक नहीं किए जा सकते हों, तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी सक्षमता प्रमाण पत्र को स्थानीय स्तर पर अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर बढ़ाया जा सकता है: -
 - ं. स्टे.मा./स.स्टे.मा. (E0-E3 लेवेल परिचालन स्टाफ) सक्षमता के लिए अति देय (ओवर ड्यू) कर्मचारियों को संयुक्त रूप से सेक्सनल टी आई और सेक्सनल एस &टी सुपरवाइजर द्वारा जांच की जाएगी। यदि उनका ज्ञान संतोषजनक पाया जाता है, तो वे मौजूद सक्षमता प्रमाण पत्र पर टिप्पणी देंगे और संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (संरक्षा) से सक्षमता प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (संरक्षा) पृष्टि किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र पर प्रति हस्तक्षारित करेगा तथा बढ़ाई गयी अवधि का उल्लेख करेगा (एक वर्ष से ज्यादा न हों) ।
 - 11. गाड़ी संचालन में काम करने वाले एमटीएस सक्षमता के लिए अति देय (ओवर ड्यू) कर्मचारियों की जांच सेक्सनल टीआई द्वारा की जाएगी। यदि उसका ज्ञान संतोषजनक पाया जाता है, तो टी आई मौजूद सक्षमता प्रमाण पत्र पर अपनी टिप्पणी देंगे और सक्षमता प्रमाण पत्र की अविध बढ़ाने के लिए प्रबंधक / उप योजना प्रबन्धक / क्षेत्रिए अधिकारी को सिफारिश करेगा। प्रबंधक / उप योजना प्रबन्धक / क्षेत्रिए अधिकारी पृष्टि किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र को प्रति हस्तक्षारित करेगा तथा बढ़ाई गयी अविध का उल्लेख करेगा (एक वर्ष से ज्यादा न हों) ।
 - iii. वैध सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना, किसी भी परिचालन कर्मचारी को ट्रेन परिचालन ड्यूटी के लिए अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।

हस्ता./

नन्दुरी श्रीनिवास निदेशक/ओपी&बीडी